

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3827

दिनांक 17/10/2025

उपरोक्त प्रकरण : अर्जुनसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अ-तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या:- 213 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक
02 / भूअ / 2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राग बीलावाली पटवार हल्का महाराणी
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के गृहि खाता संख्या 10 में खातेदार अर्जुनसिंह
पुत्र बीलावाली के स्थान पर अर्जुनसिंह पुत्र बीलावाली का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का महाराणी
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3828-29
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ -

दिनांक 17/10/2025

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का महाराणी तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

